सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 387 राँची, बुधवार, 6 अगस्त, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

9 जुलाई, 2025

आदेश सं०-5/आरोप-1-111/2014 (खण्ड) का०-4034--श्री ब्रजशंकर प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक 453/03, गृह जिला-सीतामढ़ी), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रातू के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप के मामले में विभागीय आदेश सं०-10932, दिनांक 13.11.2014 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री सिन्हा को निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ की जायेगी। साथ ही, इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या-10928, दिनांक 13.11.2014 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-139(बी) के तहत् इनके पेंशन से पाँच प्रतिशत की राशि पाँच वर्षों तक कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त के विरुद्ध श्री सिन्हा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-5207, दिनांक 10.06.2015 द्वारा श्री सिन्हा का अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत किया गया ।

2. उक्त के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में श्री सिन्हा द्वारा दायर W.P.(S) No. 5001/2015- Braj Shankar Prasad Sinha Vrs. the State of Jharkhand and others में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पारित आदेश, उक्त पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर LPA No. 749/2023 तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु श्री सिन्हा द्वारा दायर Cont. Case (Civil) No. 877 of 2023 में दिनांक 04.04.2025 को पारित न्यायादेश एवं मामले के सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प सं०-3462, दिनांक 12.06.2025 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है

(क) विभागीय आदेश सं०-10932, दिनांक 13.11.2014 एवं विभागीय संकल्प सं०-10928, दिनांक 13.11.2014, जिसके द्वारा निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान करने तथा पेंशन नियमावली के नियम-139बी के तहत् श्री सिन्हा के पेंशन से 5 प्रतिशत की राशि पाँच वर्षों तक कटौती करने का आदेश निर्गत किया गया है एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत संबंधित निर्गत संकल्प सं0-5207, दिनांक 10.06.2015 को विलोपित किया जाता है ।

(ख) उक्त विलोपन LPA No. 749/2023 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम ब्रज शंकर प्रसाद सिन्हा में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगा।

3. LPA No. 749/2023 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है ।

4. चूँकि, विभागीय संकल्प सं0-3462, दिनांक 12.06.2025 द्वारा निर्गत विलोपन आदेश में उल्लेखित है कि उक्त विलोपन LPA No. 749/2023 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगा ।

अतः LPA No. 749/2023 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2025 को पारित आदेश के आलोक में संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 387 - 50